

//गोपनीय//

कायांत्रिय पुलिस अधीक्षक, जिला-रायगढ़, उत्तरीसंगम

फैसला- पु.अ./राय./जिक्री/न्यू/1163/2005,  
प्रति,

दिनांक 04/06/2005

की शिपुरारी राय  
सहायक सचिवालक  
राष्ट्रीय अल्पसंखित जनजाति आयोग  
भारत सरकार नई दिल्ली

विषय:- रामेश्वर स्टील एवं विभिन्न विद्युत उपकरण पर दैनिक भास्कर दिनांक 08.05.05 में प्रकाशित समाचार के संबंध में।  
संदर्भ:- आपका पत्र श्री/उत्तरीसंगम/स.डी.-6/2005-ए.पी.सी.आर. दिनांक -  
26.05.05

-०-

उमरीवत विषय में संदर्भित पत्र का अधोलिङ छोने दा कष्ट करे। समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 08.05.05 में प्रकाशित समाचार शीर्षक "आदिवासियों की धौता गया गर्भ जोड़े पर" के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है :-

उक्त समाचार में प्रकाशित घटनाका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि दिन 28.04.05 को दिल्ली गुप्ता जनसंघ नियायिकाधीन रामेश्वरम स्टील एवं विभिन्न ग्राम-की गुम्फा/विद्युत उपकरण पर बूझना दी गई कि उनके नियायिकाधीन क्षेत्र में छह चौरी लहने वाले दो लड़कों को पकड़ कर रखे हैं। इस सूचना पर धाना प्रभारी घरघोड़ा बी.एम.पाटेंगे ग्राम-की गुम्फा बिट्ठी में गये तथा उनके द्वारा पकड़ कर रखे गये दोनों लड़के ॥।॥ इयाम ताज़ा साहू ज्ञा गनमौलन साहू उप- 21 क्षेत्र, स्टो घटिरकेशा ॥२॥ सदानंद राठिया ज्ञा तेजराम राठिया उप- 27 क्षेत्र, स्टो घटिरकेशा से चौरी के संबंध में पूछताछ किये। वे लिखी प्रकार की चौरी करने से इन्होंना लिये तब धाना प्रभार द्वारा उन्हें चौरी के संबंध में उनके विरुद्ध आरा 109 वारकोि अन्तर्गत कार्यवाही दी गई इन दोनों को दुसरे दिन, दिनांक 29/04/2005 को एस.डी.एम. न्यायालय घरघोड़ा परेंग किया गया जहाँ पर दोनों को न्यायालय द्वारा जगानन्त/मुख्यकार पर छोड़ा गया। तब वे दोनों अपने गविं घटिरकेशा चौरी गये।

112/1

दिनांक 05.05.05 को इयाम जाग्रहात्रु तथा सदानंद राठिया दीना प्रमाणी परघोड़ा को बताया कि दिनांक 28.04.05 को वे जपनी गणद्वारी का पैसा गाँगने के द्वारी गये हे तब किटटी देवराज दिनेश गुप्ता तथा सेल्युरिटी जार्ड लिमिटेड पूर्पुर उच्चे घाँट कर आँखिया मे रहे, तथा दौधवर छूप मे गर्भ शोहे के खेट मे उम दीनों को बिठा दिये। तथा गार-पीट किये। एम.एस.सी. लिटर्ट के बाब धाना घरघोड़ा मे इयाम ज्ञात्रु की रिपोर्ट पर अपो ष० ३० ३९/०५८० रा ३४२, २९४, ३२३, ३४ ग्राह००५० दिनांक 05.05.05 को ही पंजीकरण किया गया। इस प्रकरण मे एक गुलजरर सदानंद राठिया आदिवासी है, तथा आठोषी दिनेश गुप्ता इसी जाति के है, इससे इस प्रकरण मे धारा ३ ॥ १॥ १० ॥ ३॥ एस.सी./एस.टी. एवट जीड़ा गया। दिनांक 07.05.05 को आठोषी दिनेश गुप्ता अ० स्व. ज्वाजा प्रशाप गुप्ता उम्- ५० वर्ष, साकिन- केलारपुर अन्ध्रप्रदेश-सरायुजा द्वात्र गुकाम रामेश्वरम स्टील एवं पर्याय लाइट फूरकुट नदी के पास की गुम्हा धाना- घरघोड़ा एवं रिग्म लुप्तुर अ० चम्रु लुप्तुर उम्- २४ वर्ष, साकिन- पतराठोड़ा धाना- जैपुर जिला ज्वाजा द्वात्र गुकाम रामेश्वरम स्टील एवं पर्याय लाइट फूरकुट नदी के पास की गुम्हा धाना घरघोड़ा को गिरक्षार किया गया। जिन्हे दिनांक 08.05.05 ले जे.एम.एफ.सी. न्यायालय घरघोड़ा मे पेश किया गया। और आठोषी दिनेश गुप्ता को न्यायिक हिरासत मे ले जाया गया। प्रकरण मे विवेदना जारी है।

प्रकरण मे आठोषीयों के खिलद धानाम न्यायालय मे पेश किया जाना चाहे है। पूर्ण होने पर शीघ्र धानाम पेश किया जावेगा।

प्रतिवेदन साथर अकालीनार्थ प्रेसिल है।

पुलिस अधीक्षक,  
हायगढ़, उत्तरा

४-६-०८  
H.K.

कायांलय क्लैब्टर सर्व जिला कळाधिकारी, रायगढ़, ४०८०

- : स्थापन :-

क्रमांक ५२७२ | च्यात्रि ०१०५ रायगढ़, दिनांक २२ सितम्बर, २००५.  
प्रति

✓  
श्री त्रिपुरारी राय,  
असिस्टेन्ट डायरेक्टर,  
भारत सरकार,  
राष्ट्रीय अद्युक्त जनजागरित आयोग,  
पार्चवी पौजिल, लोकनायक मण्डन,  
बान मार्किंग, नं. दिल्ली - ११०००३.

विषय:- रह्योसिटी आन की घेंघर आफ दी शेखूलड टाइब-  
प्रेस क्लीपिंग फायर डैन्क भास्कर न्यूज पेपर दिनांक  
8-5-2005।

संदर्भ :- आयोग का पत्र क्रमांक त्रिपुरारी संगढ़ ४०८०१०-६१ २००५।  
ए पी सी आज दिनांक १०-८-२००५।

—  
कृपया उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अक्लांकन  
करने ला कष्ट करें।

(२) विषयाकित के संबंध में सहायक आद्युक्त, आदिवासी  
विकास, रायगढ़ (४०८०) से जानकारी प्राप्त की गई। हनसे प्राप्त  
क्रमांक ४१२१। राहताजाका ०५ दिनांक १९-९-०५ (फोटो प्रति संलग्न)  
के अच्छार पीड़ित पदा श्री सत्यानन्द राठिया आठ श्री तेजराम कर्का,  
ग्राम बहिरकेला, थाना फाघोड़ा, जिला रायगढ़ (४०८०) को सुलिस  
अधीक्षक, रायगढ़ के प्रतिवेदनात्मका २५,०००-०० रु० रुपीकृत किया  
गया है। आहरण प्रक्रिया पूर्ण का राशि संबंधित को तत्काल भुगतान  
की जावी।

तदरुपात् वालित प्रतिवेदन अर्थेत् कार्यवाली हेतु  
सम्प्रेषित है।

संलग्न- उपर्युक्तात्मका  
१ पन्ना।

  
जिला दण्डाधिकारी,  
८ रायगढ़